



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02-09-2020

दिनांक 01/02-09-2020 को रात्रि थाना गाजीपुर 03, मड़ियाँव 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

धारा 110<sup>जी</sup> द0प्र0सं0 की कार्यवाही।

थाना ठाकुरगंज:-दिनांक 01-09-2020 को श्री राजकुमार प्रभारी निरीक्षक ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा अभि0 1-असफाक पुत्र नवाब अली निवासी न्यू हैदरगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ 2-अरमान पुत्र हलीम निवासी 447/49 राधाग्राम थाना ठाकुरगंज लखनऊ 3-सलीम पुत्र मो0 जीमल निवासी राधाग्राम थाना ठाकुरगंज लखनऊ 4-कलीम पुत्र मो0 जीमल निवासी 447/49 राधाग्राम थाना ठाकुरगंज लखनऊ 5-युनुस पुत्र मसीउल्लाह निवासी 447/154 बर्फखाना राधाग्राम थाना ठाकुरगंज लखनऊ 6-सैफ उर्फ भाटा पुत्र इरफान उर्फ राजू निवासी 447/53 राधाग्राम थाना ठाकुरगंज लखनऊ के विरुद्ध धारा 110<sup>जी</sup> द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त गिरफ्तार।

सआदतगंज:-दिनांक 02-09-2020 को थाना सआदतगंज द्वारा बताया गया कि दिनांक 01-09-2020 को वादिनी चांदबीबी पत्नी मो0 अकील निवासी इन्दारे वाली मस्जिद के पास रामनगर थाना सआदतगंज लखनऊ द्वारा थाना सआदतगंज पर धारा 306 भादवि का अभियोग बनाम 1-इमरान के विरुद्ध इस सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था कि दिनांक 01-09-2020 को समय करीब 12.00 बजे जब कमरे में कोई नहीं था, तो वादिनी के पति मो0 अकील उम्र करीब 35 वर्ष ने कमरे के अन्दर पंखे में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, मकान मालिक इमरान से किरायेदारी को लेकर वादिनी के पति का वाद-विवाद हुआ था, जिसके कारण वादिनी के पति द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री प्रदीप सिंह थाना सआदतगंज लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 02-09-2020 को एस0आई0 श्री प्रदीप सिंह थाना सआदतगंज लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 1-मो0 इमरान पुत्र मो0 उमर निवासी रामनगर इन्दारे वाली मस्जिद के पास थाना सआदतगंज लखनऊ को रामनगर इन्दारे वाली मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सआदतगंज पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना बाजारखाला:-दिनांक 02-09-2020 को थाना बाजारखाला लखनऊ द्वारा बताया गया कि दिनांक 31-08-2020 को वादिनी निवासी बाजारखाला थाना बाजारखाला लखनऊ द्वारा थाना

बाजारखाला पर अपनी 15 वर्दीय पुत्री के सम्बन्ध में थाना बाजारखाला पर धारा 376/506/354क भा0द0वि0 व 3/4 पाकसों एक्ट का अभियोग बनाम 01-उमेटा उर्फ काटी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक श्री राम सिंह यादव थाना बाजारखाला लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 01-09-2020 को अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक श्री राम सिंह यादव थाना बाजारखाला लखनऊ द्वारा उपरोक्त अभियोग के नामजद अभियुक्त 01-उमेश उर्फ काशी पुत्र मुन्नी लाल रावत निवासी-दरियापुर थाना बाजारखाला लखनऊ को हैदरगंज तिराहा, बाजारखाला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बाजारखाला पर आवंट्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### भा0द0वि0

**चिनहट:-**दिनांक 02-09-2020 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि हरिकेटा यादव पुत्र स्व0 जयश्री यादव निवासी नया नन्दपुर थाना चिनहट लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि दिनांक 28-06-2020 को वादी अपने परिवार सहित अपने निजी आवास महानगर चला गया था, कि उसी रात्रि को वादी के मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 586/2020 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री रामकिटोर कौटिक मो0नं0 6393493361 द्वारा की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि वादी प्राइवेट काम करते है।

